



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 937 वर्ष 2026

तिलका

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

माया पति पांडे

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह तथा राज्य प्र तिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक की ओर से, केस अपराध संख्या 172/2025 में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 85, 123 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 3/4 के अंतर्गत, पुलिस थाना जोगिया, जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त- आवेदक निर्दोष है और उसे इस अपराध संख्या वाले मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक पीड़िता की सास है और उसने पीड़िता को जहर नहीं दिया है। उन्होंने निवेदन किया कि यह एक पारिवारिक विवाद है जिसमें आवेदक को झूठा फंसाया गया है, और अब यह विवाद न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक एक महिला है, अतः न्यायालय द्वारा उसे जमानत प्रदान करने के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने निवेदन किया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दाखिल किया जा चुका है और आवेदक से किसी भी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक दिनांक 13.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि इसी आधार पर, इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 156/2026 में दिनांक 14.01.2026 को पारित आदेश के माध्यम से सह-आरोपी गोलू को जमानत प्रदान की जा चुकी है; अतः, आवेदक भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। इसलिए, जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

ए जी ए के विद्वान अधिवक्ता ने ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, बीएनएसएस की धारा 480(1) के पहले परंतुक दोषसिद्धि की स्थिति में सज़ा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए—लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना—जमानत का एक मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त केस अपराध संख्या में शामिल अभियुक्त-आवेदक, तिलका को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दे दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, निचली अदालत को उसकी ज़मानत रद्द करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

16 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।